

## संसदीय विशेषाधिकार



# संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार सांसदों, विधायकों और उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं।

### संवैधानिक प्रावधान

- ⦿ अनुच्छेद 105: संसद सदस्यों के लिये
- ⦿ अनुच्छेद 194: विधानसभा सदस्यों के लिये

यह कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान दिये गए बयानों या कृत्यों के लिये केवल नागरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

### शक्ति के स्रोत

- ⦿ संवैधानिक प्रावधान
- ⦿ संसद द्वारा निर्मित विभिन्न कानून
- ⦿ दोनों सदनों के नियम
- ⦿ संसदीय अभिसमय
- ⦿ न्यायिक व्याख्याएँ

### सदस्यों के निजी विशेषाधिकार

- ⦿ संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ⦿ सांसद/समिति को बयानों या मतदान के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छूट
- ⦿ संसद के किसी भी सदन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज़, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में न्यायाधिक कार्यवाही से छूट
- ⦿ कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण न्यायालय में संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न करने से रोक
- ⦿ सदस्यों को सदन या समिति की बैठक के दौरान और उसके सत्र से 40 दिन पहले या बाद में नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट

### सदन का सामूहिक विशेषाधिकार

- ⦿ सदन को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, विरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में त्वरित रूप से सूचित किये जाने का अधिकार है।
- ⦿ अध्यक्ष/समापति की अनुमति प्राप्त किये बिना सदन के परिसर के अंदर गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की सेवा से प्रतिरक्षा
- ⦿ सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
- ⦿ रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ संसदीय समिति को प्रस्तुत किये गए साक्ष्य आधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर रखे जाने तक गोपनीय रूप से छाहिये।
- ⦿ सदन के सदस्यों/अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या न्यायालय में गवाही देने के लिये सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है।

### महत्वपूर्ण निर्णय

- ⦿ केरल राज्य बनाम के. अजित मामला (वर्ष 2021)- उच्चान्वयन ने इस बात पर ज़ोर दिया, कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है।
- ⦿ वर्ष 2024 में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पी.वी. नरसिंहा राव बनाम राज्य (1998) मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को यह स्पष्ट करते हुए पलट दिया, कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 द्वारा प्रदान किये गए विशेषाधिकार रिश्वत के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं।